गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
(नैक द्वारा "A++" ग्रेड प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
कोनी, बिलासपुर–495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752–260209, फैक्स : 07752–260154
ई–मेल : ggv.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
(A Central University with "A++" Grade Accredited by NAAC)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : ggv.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 556 /बै.प्र. /स्था.समि. /2025 बिलासपुर, दिनांक : 10-08-2025

प्रति,

समस्त सम्माननीय सदस्यगण
All Hon'ble Members
विद्यापरिषद् की स्थायी समिति,
Standing Committee of Academic Council
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
बिलासपुर (छ.ग.)
Bilaspur (C.G.)

विषय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 216वीं बैठक दिनांक 10.08.2025 के कार्यवृत्त का प्रेषण।
Subject :- Dispatch of minutes of 216th meeting of Standing Committee of Academic Council dated 10-08-2025.

---0---

महोदय / महोदया,
Sir/Madam

विषयान्तर्गत, दिनांक 10.08.2025 को आयोजित विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 216वीं बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अभिलेख हेतु संलग्न प्रेषित है।

Under the subject, the minutes of the 216th meeting of the Standing Committee of the Academic Council held on 10-08-2025 is enclosed for perusal and record.

आदेशानुसार/By order,

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

पृ0 क्रमांक 557 /बै.प्र. /स्था.स. /2025 बिलासपुर, दिनांक : 10-08-2025

प्रतिलिपि/Copy to :–

01. कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
The Secretary to the VC for the information of the HVC.
02. कुलसचिव के निज़ सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
The PA to the Registrar for inf ormation of the Registrar.
03. निदेशक, आईक्यूएसी / सहायक कुलसचिव–अकादमिक / प्रशासन / विकास, प्रभारी विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
Director, IQAC/Assistant Registrar - Academic/Administration/Development/ Incharge University website for information and necessary action.
04. कार्यालय प्रति।
Office Copy.

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 216वीं बैठक दिनांक 10.08.2025 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 216वीं बैठक दिनांक 10.08.2025 को प्रातः 11.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव (कार्यवाहक) ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :—

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
3.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
4.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
5.	प्रो0 व्ही.एस. राठौड़, प्रभारी—अधिष्ठाता शिक्षा विद्यापीठ	सदस्य
6.	प्रो0 अनुराग चौहान, प्रभारी—अधिष्ठाता कला विद्यापीठ	सदस्य
7.	प्रो0 एच.एस. धुरिया, प्रभारी—अधिष्ठाता प्राकृतिक संसाधन विद्यापीठ	सदस्य
8.	प्रो0 एच.एस. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
10.	प्रो0 पी.पी. मूर्ति	सदस्य
11.	प्रो0 सुधांशु रंजन मोहापात्रा	सदस्य
12.	प्रो0 बी.डी. मिश्रा	सदस्य
13.	प्रो0 संतोष कुमार प्रजापति, निदेशक—अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ	सदस्य
14.	डॉ0 एम.एस. धपोला	सदस्य
15.	डॉ0 सुबल दास	सदस्य
16.	डॉ0 गीता मिश्रा	सदस्य
17.	प्रो0 भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी—विकास	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो0 अमित कुमार सक्सेना, निदेशक, आईक्यूएसी	विशेष आमंत्रित सदस्य
19.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, अधिष्ठाता—छात्र कल्याण	विशेष आमंत्रित सदस्य
20.	डॉ0 सम्पूर्णानन्द झा, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
21.	प्रो0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंघरौल, वित्ताधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य
22.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी, समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति — 2020	विशेष आमंत्रित सदस्य
23.	डॉ0 ए.के. शर्मा, ग्रंथपाल	विशेष आमंत्रित सदस्य
24.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, निदेशक, ओडीएल	विशेष आमंत्रित सदस्य
25.	प्रो0 आर.के. चौबे, ओ.एस.डी. यांत्रिकी	विशेष आमंत्रित सदस्य
26.	डॉ0 गणेश प्रसाद शुक्ला, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी—भण्डार	विशेष आमंत्रित सदस्य
27.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :—

1. प्रो0 आलोक कुमार सिंह कुशवाहा, निदेशक, एमएमटीटीसी

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय द्वारा प्रेरणादायी उद्‌बोधन दिया गया तथा एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। कुलपति महोदय ने अहंकार से दूर रहने का सुझाव दिया। तदोपरान्त निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :—

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 215वीं बैठक दिनांक 02.08.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :— निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 215वीं बैठक दिनांक 02.08.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

Ranadive
10-08-2025

11/08/2025

विषय क्र. 02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 215वीं बैठक दिनांक 02.08.2025 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 215वीं बैठक दिनांक 02.08.2025 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

विषय क्र. 03. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय (जीजीव्ही) परिसर में हाई–टेक वन नर्सरी की स्थापना के संबंध में विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय (जीजीव्ही) परिसर में हाई–टेक वन नर्सरी की स्थापना संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तावित अनुमानित बजट राशि 30 लाख रूपये की स्वीकृति भी प्रदान की जाय।

विषय क्र. 04. मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 11.07.2025 द्वारा अनुशंसित संशोधित B.Tech IV Year का पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 11.07.2025 द्वारा अनुशंसित संशोधित B.Tech IV Year के संशोधित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 05. महिला अध्ययन केन्द्र के प्रतीक चिन्ह (लोगो) चयन के संबंध में विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित प्रतीक चिन्ह संबंधी विषय को प्रतीक चिन्ह निर्धारण/प्रारूपण समिति को अंतरित कर दिया जाय।

विषय क्र. 06. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केन्द्र के अन्तर्गत (1)Women Law & Gender Justic, (2) Community Based Participatory Research पर 06 माह के पाठ्यक्रम का संशोधित पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केन्द्र के अन्तर्गत (1)Women Law & Gender Justic, (2) Community Based Participatory Research पर 06 माह के पाठ्यक्रम का संशोधित पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश के प्रारूप को विश्वविद्यालय के अधिष्ठाताओं की बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किया जाय एवं अधिष्ठाताओं से प्राप्त अनुशंसाओं के साथ स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

विषय क्र. 07. संगणक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 28.07.2025 द्वारा अनुशंसित संशोधित B.Sc./BCA एवं M.Sc./MCA का पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि संगणक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 28.07.2025 द्वारा अनुशंसित संशोधित B.Sc./BCA एवं M.Sc./MCA, Pre-Ph.D. Coursework के संशोधित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

A Rancdive
10-08-2025

11/08/2025

विषय क्र. 08. **SAMARTH पोर्टल मॉड्यूल्स के कार्यान्वयन हेतु गठित समिति के मुख्य समन्वयक, समन्वयक एवं सह–समन्वयकों की बैठक दिनांक 06.08.2025 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने SAMARTH पोर्टल मॉड्यूल्स के कार्यान्वयन हेतु गठित समिति के मुख्य समन्वयक, समन्वयक एवं सह–समन्वयकों की बैठक दिनांक 06.08.2025 के कार्यवृत्त एवं सूचना ग्रहण की तथा यह निर्णय लिया कि बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 09. **गणित विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 25.07.2025 द्वारा अनुशंसित संशोधित UG, PG एण्ड Pre-Ph.D. Coursework का पाठ्यक्रम एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गणित विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 25.07.2025 द्वारा अनुशंसित संशोधित UG, PG एण्ड Pre-Ph.D. Coursework के संशोधित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 10. **विश्वविद्यालय में चल रहे अलग–अलग Social Connect Schemes एवं विद्यार्थियों के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रारूपित लोगो के आंशिक संशोधन के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में चल रहे अलग–अलग Social Connect Schemes एवं विद्यार्थियों के लिए विभिन्न 11 योजनाओं के संशोधित प्रारूपित लोगो का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 11. **मानव विज्ञान एवं जनजातीय विकास विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय द्वारा ट्राइबल गैलेरी स्थापित किये जाने के प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि मानव विज्ञान एवं जनजातीय विकास विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय द्वारा ट्राइबल गैलेरी स्थापित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त गैलरी का नाम **"जनजातीय वीथिका (Tribal Gallery); भारतीय जनजातीय नायक (Bhartiya Tribal Heroes)"** रखा जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र .01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष पाली पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु विज्ञापन प्रारूप एवं दिशा–निर्देश प्रारूप प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत विज्ञापन एवं दिशा–निर्देश प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र .02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष आंग्ल एवं निदेशी भाषा विभाग के अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम एवं पाली विषय पर संचालित कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम प्रस्तुत किये गये। प्राप्त प्रस्ताव एवं पाठ्यक्रमों पर विचारोपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया जाय।

10-08-2025

11/08/2025

अ.अ.वि.क्र .03 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, विकास शाखा के माध्यम से डॉ0 अम्बेडकर उत्कृष्ठता केन्द्र के संचालन हेतु अनुमोदित दिशा–निर्देश के अर्हता में आंशिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित दिशा–निर्देश निम्नलिखित संशोधन के साथ अनुमोदन किया जाय।

1. जी.जी.व्ही.–डी.ए.सी.ई. कोचिंग क्लासेस में यू.जी. के साथ पी.जी. (अंतिम वर्ष या उत्तीर्ण) के छात्रों को भी प्रवेश दिया जाय।

2. यू.जी./पी.जी. में पढ़ाई कर रहे छात्र, यदि इच्छुक हैं तो उन्हें भी जी.जी.व्ही.–डी.ए.सी.ई. कोचिंग क्लासेस में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु अंतिम वर्ष या उत्तीर्ण छात्रों को मेरिट में वरीयता प्रदान किया जाय।

3. यदि मेरिट प्राप्तांकों के आधार पर किया जाना है तो अंतिम वर्ष या पढ़ाई कर रहे छात्रों के मेरिट हेतु आवेदकों के पिछले सत्र के अंक सूची के आधार पर किया जाय।

अ.अ.वि.क्र .04 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष शिक्षा विद्यापीठ के प्रभारी, अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ, प्रो0 व्ही.एस. राठौड़ के द्वारा शिक्षा मित्र संस्कार योजना में छात्रों के नाम नामित किये जाने संबंधी प्रावधान शामिल किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रो0 आर.के. प्रधान अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ ने अपना समर्थन दिया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शिक्षा मित्र संस्कार योजना के प्रावधानों में छात्र सदस्य नामित किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय। इस हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने का निर्णय भी लिया गया।

अ.अ.वि.क्र .05 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 08.08.2025 के कार्यवृत्त प्रस्तुत किये गये। अधिष्ठाताओं के कार्यवृत्त में तीन विषयों पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत विषय क्रमांक–1 एवं 2 में प्राप्त अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया तथा विषय क्रमांक–3 को स्थायी समिति के समक्ष पृथक विषय के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि वस्त्र वितरण संबंधी योजना का नाम जीजीव्ही वस्त्र संगम योजना रखा जाय।

अ.अ.वि.क्र .06 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष भौतिकीय विज्ञान विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रो0 एच.एस. तिवारी द्वारा विश्वविद्यालय के नाम के साथ टैग लाईन जोड़ने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रस्ताव पर प्रो0 राजेन्द्र मेहता, अधिष्ठाता अंतरविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विद्यापीठ ने समर्थन दिया। प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के नाम के साथ यह टैग लाईन जोड़ा जाय "University with a difference"।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

Rancdive 11/08/2025

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**